न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, कोर्ट नं0–1, जौनपुर।
सत्र परीक्षण संख्या– 100/2023, (रजि0 नं0–369/2023)
सी.एन.आर.नं0–यू.पी.जे.पी. 010015302023
स्टेट––––––––––बनाम––––––––––अमृता यादव एवं अन्य
मु0अ0सं0– 38/2022,
धारा–302, 307, 504,120बी. भा0 द0 सं0
थाना–नेवढ़ियॉ, जिला–जौनपुर।

01.12.2023

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर अभियुक्त आकाश यादव जेरे हिरासत उपस्थित तथा अभियुक्तगण अमित यादव एवं अमृता यादव की हाजिरी माफी आयी।

प्रार्थना पत्र 18ख अंतर्गत धारा 227 दण्ड प्रक्रिया संहिता पर प्रार्थी/अभियुक्त अमित कुमार यादव के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त अमित कुमार यादव की ओर से प्रार्थना पत्र 18ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त प्रकरण में वादी मुकदमा रविन्दर यादव पुत्र राजबली यादव सा0 मौजा–रामनगर, थाना नेवढ़ियॉ जौनपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया था जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त अमित यादव उर्फ बबलू नामजद अभियुक्त नहीं है। दिनांक 02.05.2022 को वह मुम्बई शहर में स्थित एल. बी. इंजीनियरिंग में कार्यरत था और उसका तथाकथित घटना से कोई लेना देना नहीं था। वादी ने अपने बयान धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम नहीं लिया है। वादी मुकदमा का घर घटना स्थल से काफी दूर है और उसका उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है तथा वादी के घर से उसके घर की दूरी 15 किमी0 है। दौरान विवेचना अंतिम पर्चा में विवेचक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की भूमिका मात्र 120बी. आई0 पी0 सी0 में होना बताया गया है। अंतिम पर्चे में उसकी बात मोबाईल से होना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की घटना स्थल पर उपस्थित नहीं है और न ही किसी प्रकार की उक्त मुकदमें में उसकी दुष्प्रेरण की भूमिका है। वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसे नामित नहीं किया गया है। विवेचक द्वारा जान बूझकर उसका नाम फर्जी तौर पर प्रकाश में लाया है जबकि उक्त घटना से उसका कोई वास्ता सरोकार नहीं है। उसकी मुकदमें में जो भूमिका बतायी गयी है वह असत्य है। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय सत्र न्यायाधीश जौनपुर के आदेश दिनांक 28.06.2022 से जमानत पर है उसने जमानत का कभी भी दुरूपयोग नहीं किया है। सम्पूर्ण केस डायरी के अवलोकन के पश्चात प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है और उसे उन्मोचित करने का पर्याप्त आधार है एवं प्रकरण की कार्यवाही उसके उपर चलाया जाना न्याय संगत नहीं है। उसके विरूद्ध किसी भी थाने में कोई एन0 सी0 आर0 दर्ज नहीं है। अभियोजन के पास उसके विरूद्ध प्रस्तुत मामले में कोई साक्ष्य इस स्तर पर नहीं है जिसका आरोप विरचित किया जा सके। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना ऐसा कोई साक्ष्य संकलित नहीं किया गया जिससे उसके विरूद्ध उक्त वर्णित धाराओं में कोई अपराध साबित हो सके। अभियोजन कथन असत्य एवं फर्जी है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध चार्ज के आधार पर कोई साक्ष्य न होने के कारण चार्ज के स्तर पर उन्मोचित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को तथाकथित अपराध से उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र 19ख प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा आपत्ति 20ख प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है

कि प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध, तथ्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत निराधार है। यह सही है कि घटना के तुरन्त बाद घटना स्थल पर प्रत्यक्ष उपस्थित वादी मुकदमा के दृष्टिगोचर में मात्र दो मुल्जिमान आकाश यादव उर्फ राजू व अमृता देवी को नामित किया गया था किन्तु दौरान विवेचना केस डायरी के अवलोकन व अभियुक्त आकाश यादव उर्फ राजू के तलाश के दौरान मुखबिर खास द्वारा अभियुक्त अमित कुमार यादव का नाम प्रकाश में पर्चा नं0–26 में आया तथा पर्चा नं0–30 में संलिप्तता व घटना के दिन ही अभियुक्त आकाश यादव के साथ मुम्बई से आने तथा पर्चा नं0–32 में वादी के लिखित प्रार्थना पत्र का0 सं0–15 व मजीद बयान में अभियुक्त का मोबाईल नंबर 8850901022 होना व उक्त नम्बर से अभियुक्तगण में घटना के तुरन्त बाद वार्ता होना केस डायरी से स्पष्ट है। पर्चा नं0–38 में अभियुक्त अमित का गिरफ्तारी से बचने हेतु भागना व गिरफ्तारी के समय बरामद मोबाईल में मोबाईल नं0–8850901022 का सिम मिलना तथा अभियुक्त का संस्वीकृति बयान से भी अभियुक्त का षडयंत्र द्वारा उक्त घटना में सम्मिलित होने का पर्याप्त साक्ष्य है। तमामी विवेचना, केस डायरी के अवलोकन तथा कैफ रिपोर्ट व परिस्थितिजन्य साक्षीगण के बयान के आधार पर अभियुक्त अमित कुमार यादव के विरूद्ध षडयंत्र के तहत उक्त मुकदमें सम्मिलित होने का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अभियुक्त अमित कुमार यादव पर आरोप विरचन हेतु प्रथम दृष्टया पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है एवं विधि व्यवस्थाओं के अनुसार उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रत्येक दशा में खारिज किया जाना नितान्त आवश्यक है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त अमित कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 21.06.2023 को निरस्त करते हुये आरोप विरचित किये जाने की याचना की गयी है।

दौरान सुनवाई विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अभियुक्तगण अमृता देवी, आकाश उर्फ राजू यादव एवं अमित कुमार यादव उर्फ बब्लू के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 307, 302, 504, 120बी. आई0 पी0 सी0 विरचित किये जाने का पर्याप्त सामग्री मौजूद होने का उल्लेख करते हुये उनके विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने का अनुरोध किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है कि वादी मुकदमा रविन्द्र कुमार यादव द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 03.05.2022 को समय 11.10 बजे थाना नेवढ़ियॉ जिला जौनपुर में प्रार्थना पत्र इस कथन के आधार पर प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 02.05.22 को 10.30 बजे उसके पिता राजबली यादव व माता शांती देवी खाना खाने के बाद घर के सामने खाट बिछाकर अलग–2 लेटे हुये थे तथा उसने व उसकी पत्नी विमला देवी पुत्री खुश्बू व पुत्र गौरव के साथ छत पर बैठ कर खाना खा रहे थे कि उसके चाचा सूर्यबली यादव का लड़का आकाश यादव उर्फ राजू जो पिछले दो माह से घर पर नहीं रह रहा था को उसकी चाची अमृता देवी ने षडयंत्र रचकर घर बुलाया वह अचानक आया और उसके पिता राजबली को भद्दी–2 गालियॉ देने लगा तथा उसने शोर सुनकर परिवार सहित नीचे आया कि आकाश यादव उर्फ राजू ने पहले से छिपाकर रखे हुये असहले को निकाल कर गाली गलौज देते हुये उसके पिता राजबली यादव पर हत्या करने की नियत से फायर किया जिससे उसके पिता वही जमीन पर गिर गये जिसे बचाने के लिए उसने व शांती देवी, विमला देवी तथा गौरव आये कि उन लोगों पर भी फायर कर दिये तथा उसे असलहे के कुन्दे से दो–तीन बार सिर पर मार दिया जिससे वह भी गम्भीर रूप से घायल हो गया। चोटहिलों को रामनगर ब्लाक अस्पताल ले गये जहां से डाक्टर द्वारा जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया तथा डाक्टर द्वारा उसके पिता को मृत घोषित कर दिया गया और उसकी मां, पत्नी व बेटे के ईलाज हेतु ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया और परिवार का ईलाज कराया। उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक–03.05.2022 को थाना नेवढ़ियॉ, जौनपुर में मुकदमा अपराध संख्या–

38/2022 अंतर्गत धारा 307, 302, 504, 120बी. आई0 पी0 सी0 का दर्ज कराया। विवेचना के क्रम में विवेचनाधिकारी द्वारा गवाहों के बयान अंतर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता दर्ज किया गया। चिकित्सीय आख्या व पोस्ट मार्टम रिपोर्ट एवं अन्य प्रपत्र संकलित की गयी जिसके आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा अभियुक्तगण अमृता देवी, अमित कुमार यादव उर्फ बबलू यादव एवं आकाश यादव उर्फ राजू के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

वादी मुकदमा रविन्द्र कुमार यादव द्वारा विवेचक को दिये गये बयान अंतर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता में कथन किया है कि दिनांक 02.05.2022 को उसके पिता राजबली यादव व माता शांती देवी खाना खाने के बाद घर के सामने खाट बिछा कर अलग–2 चारपाई पर लेटे हुये थे कि उसने व उसकी पत्नी विमला देवी, पुत्री खुशबू व बेटा गौरव के साथ छत पर बैठकर खाना खा रहे थे कि समय लगभग 10.30 बजे रात उसके चाचा सूयबली यादव का लड़का आकाश यादव उर्फ राजू जो पिछले दो माह से घर पर नहीं रह रहा था को उसकी चाची अमृता देवी ने षडयंत्र रचकर घर बुलाया वह अचानक आया और उसके पिता राजबली यादव को मां बहन की भद्दी–2 गालियॉ देने लगा तो शोर सुनकर नीचे परिवार सहित आ गया जैसे ही वे लोग घर पर पहुंचे कि आकाश यादव उर्फ राजू ने अपने पास पहले से ही छुपा कर रखी हुयी असलहे को निकाल कर गाली गुप्ता देते हुये राजबली यादव पर हत्या करने की नियत से फायर किया जिससे उसके पिता जी वही जमीन पर गिर पड़े व उसकी मां शांती देवी, पत्नी विमला देवी व बेटा गौरव एवं उसने स्वयं बचाने के लिए दौड़े तो उनलोगों के उपर भी फायर कर दिया और उसको अपने असलहे के कुन्दे से दो तीन वार जोर से सिर पर मारा जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। उसके वे लोग भीड़ इकट्ठा होते देखकर भाग गये। गांव वाले घायलों को रामनगर ब्लाक अस्पताल ले गये जहॉ से डाक्टर द्वारा घायलों को जिला अस्पताल जौनपुर भेज दिये, जहॉ पर डाक्टर द्वारा उसके पिता को मृत घोषित कर दिये और उसकी मॉ, पत्नी, बेटे के ईलाज हेतु ट्रामा सेन्टर वाराणसी हेतु रेफर कर दिये। उसने अपने परिवार का ईलाज करा रहा था और उसी में परेशान और व्यस्त था तथा वहॉ से आकर थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया। इस प्रकार उक्त साक्षी ने घटना से समर्थित बयान दिया है। अभियोजन पक्ष से अन्य गवाहान विमला यादव, शांती देवी, गौरव यादव ने भी घटना का समर्थन करते हुये बयान दिया है।

दौरान विवेचना विवेचक द्वारा मुकदमें के वांछित अभियुक्त आकाश यादव उर्फ राजू की गिरफ्तारी हेतु सम्भावित स्थान ग्राम रामनगर, नोकरा बारी–2 दबिश दी गयी परन्तु अभियुक्त दस्तेयाब नहीं हुआ, तत्पश्चात मुखबीर खास को तलब कर अभियुक्त के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि अभियुक्त आकाश यादव उर्फ राजू का दूर का रिश्तेदार विजय यादव का पुत्र अमित कुमार यादव उर्फ बबलू जो कमीरपट्टी थाना मड़ियाहूं जौनपुर का रहने वाला है का भी मुकदमें की घटना में कारित करने में संलिप्तता रही है क्योंकि वह घटना के दिन ही मुम्बई से आया था और यह भी पता चला है कि अभियुक्त आकाश यादव घटना करने के पश्चात उसके घर पर गया था जिसमें उन दोनों की जरूर साठ–गाठ रही है लेकिन अभियुक्त आकाश यादव उर्फ राजू बहुत ही सातिर किस्म का अपराधी है इसलिए वह पुलिस एवं न्यायालय की पकड़ से बच बचाकर अन्यत्र कहीं छिप कर रह रहा है।

वादी ने अपने मजीत बयान में मौके पर दिये गये प्रार्थना पत्र का पूर्ण समर्थन करते हुये कहा है कि उसके द्वारा थाने में दिनांक 03.05.2022 को मु0 अ0 सं0–38/22 धारा 302, 307, 120बी. 504 आई0 पी0 सी0 पंजीकृत कराया गया था। घटना करने वाला मुख्य अभियुक्त आकाश यादव उर्फ राजू अभी तक पुलिस द्वारा पकड़ा नहीं गया है उसे पता चला है कि दिनांक 02.05.22 को उसके पिता, माता, पत्नी व बेटे को गोली मारने के बाद आकाश यादव

उर्फ राजू अपने रिश्तेदार अमित कुमार यादव उर्फ बबलू यादव पुत्र विजय कुमार यादव निवासी कमीरपट्टी थाना मड़ियाहूं जौनपुर के घर पर गया था और वहॉ उससे मिलकर काफी देर बाद कहीं और चला गया। उसे पूर्ण विश्वास है कि घ ाटना उपरोक्त में अमित कुमार यादव उर्फ बबलू भी षडयंत्रकारी रहा है। उसने पता किया है कि अमित कुमार यादव का मो0 नं0–8850901022 है। इसके अतिरिक्त जब कोई बात मुकदमें के सम्बन्ध में ज्ञात होगी तो वह समय–2 पर बताता रहेगा। उसे न्याय चाहिए और जो इस घटना को कारित करने में मदद किया है वह भी दण्डित होना चाहिए। विवेचक द्वारा वादी से पुनः अभियुक्त आकाश यादव उर्फ राजू के सम्बन्ध में पूछा गया तो उसने बताया कि आकाश यादव उर्फ राजू एक शातिर किस्म का अपराधी है जो मो0 नं0–9565375015 इस्तेमाल करता है। उसने जनपद वाराणसी एवं मुम्बई में भी कई जघन्य अपराध किये है। जबकि इसका एक छोटा भाई शुभम यादव जो मुम्बई में अपनी वाहन के पास रहता है उसका मो0 नं0–7705020226 है।

विवेचक द्वारा अभियुक्त अमित कुमार यादव उर्फ बबलू का बयान अंकित किया गया जिसमें उसने कहा है कि पिछले 6–7 वर्षो से थाणे मुम्बई में लोहे के खराद की मशीन पर काम करके अपना पेट पालता है उसका मो0 नं0–8850901022 है। उसके मामा के मामा का लड़का आकाश यादव उर्फ राजू से उसकी काफी सालों से गहरी दोस्ती है वह भी मुम्बई काफी दिनों तक रहा है लेकिन मुम्बई में अपराध करने के कारण पुलिस से बचने के उद्देश्य से वाराणसी चला गया था, आकाश यादव उर्फ राजू से वह हाल–चाल करता था। उसने उसे बताया था कि उसके पट्टीदार राजबली यादव एवं उसके परिवार वाले काफी गाली गलौज देते है वह उन्हें जल्दी ही मार डालेगा। दिनांक 02.05.2022 को वह मुम्बई से वापस अपने गांव कमीरपट्टी थाना मड़ियाहूं जौनपुर आया उसी दिन आकाश यादव उर्फ राजू बनारस से अपने घर लगभग 10.30 बजे रात में आया और अपने पट्टीदार के बड़े पिताजी राजबली यादव, उनकी पत्नी शान्ती देवी, भाभी विमला, भतीजा सौरभ को विवाद कर अपने पिस्टल गोली मार दी। ऐसा करने के सम्बन्ध में उसने घटना से पूर्व उसे फोन करके बताया था थोड़ी देर बाद वह उसके फोन पर बातचीत करने के लिए फोन मिलाया तो उसका फोन स्वीच आफ जा रहा था लगभग 11.30 बजे रात को वह अपने मोटर साईकिल पल्सर से उसके घर पर आया और अपने पट्टीदार के परिवार के लोगों को गोली मारने एवं विवाद के सम्बन्ध में सारी बात उससे बताया। उसने यह भी देखा था कि आकाश यादव के पैन्ट की जेब में एक पिस्टल भी मौजूद थी फिर उसकी मोबाईल को उससे मांगा और कुछ जगहो पर बातचीत भी किया उसके बाद वह उसे पुलिस आने की बात कहते हुये बाद में मिलने का विश्वास दिलाते हुये तुरन्त वहॉ से चले जाने के लिए कहा। वह भी इस घटना से काफी डर गया था क्योंकि वह जानता था कि उसने भी इसघटना में उसकी मदद की है और कुछ दिन के बाद मुम्बई चला गया था लेकिन मुम्बई में कोई काम नहीं मिला तो वह पुनः अपने घर वापस आ गया लेकिन जब पुलिस उसे भी खोजने लगी तो वह पुलिस से पकड़े जाने के डर से पुनः मुम्बई भागने की तैयारी में था। उसने घटना से पूर्व आकाश यादव उर्फ राजू से उसके मो0 नं0–9565375015 पर बात किया था और घटना के बाद में जब आकाश यादव उर्फ राजू उसके घर पर आया था इसी मो0 नं0–8850901022 से अन्य जगहो पर बातचीत किया था।

इसी प्रकार विवेचक द्वारा अभियुक्त आकाश यादव उर्फ राजू का बयान अंकित किया गया जिसमें उसने कहा है कि वह अपने रिश्तेदार अमित यादव उर्फ बब्लू पुत्र विजय कुमार यादव जो पिछले 6–7 वर्षो से थाणे मुम्बई में रहकर लोहे के खराद की मशीन चलाता है जिसका मो0 नं0–8850901022 है जो ग्राम करीमपट्टी थाना मड़ियाहूं जौनपुर का रहने वाला है और रिश्तेदार होने के साथ–2 नजदीकी दोस्त भी है जिसको उसने काफी दिन

पहले ही फोन करके आज के दिन घर पर आने के लिए बुलाया था। उसे मालुम था कि वह अपने घर करीमपट्टी पर मौजूद है। वह जब उसके घर पहुंचा तो वह उसका इन्तजार कर रहा था। उसने उसे अपने पट्टीदारो के साथ हुयी हत्या व अन्य घटनाओं के बारे में शुरू से अन्त तक पूरी बात बतायी तब उसने कहा कि वह तुम्हारा इसमें जरूर सहयोग करेगा। वह अपनी मोबाईल लोकेशन लिये जाने के डर से पूर्व में भी स्विच–ऑफ कर दिया था जिसके कारण उसने अमित का मोबाईल नं0–8850901022 को लेकर दो–तीन जगह फोन किया कुछ घन्टो तक वह अमित यादव के यहॉ करीमपट्टी रूका रहा उसी दौरान अमित यादव ने उसके पास रखी हुयी पिस्टल को देख लिया तो उसने उससे कहा कि तुम इसे कहीं और जाकर छिपा दो, नहीं तो इतनी बड़ी घटना के बाद जगह–2 हो रही पुलिस चेकिंग में पकड़े जायेगे। तब उसने भोर में लगभग 5.00 बजे पुनः पल्सर से बाबतपुर की तरफ निकला कि रास्ते में जवंशीपुर में अटल मनरेगा पार्क जो काफी एकान्त में पड़ता है उसे ध्यान आया तो उसने अपनी पिस्टल और मोबाईल छिपाने के बारे में सोच कर जवंशीपुर की तरफ मोटर साईकिल मोड़ दिया और पुलिस से पकड़े जाने के डर से उसने अपनी एन्ड्रोयड मोबाईल 9565375015 एवं पिस्टल 9एमएम को जवंशीपुर स्थित अटल मनरेगा पार्क के पीछे मुक्ति धाम के पास झाड़ियो एवं ईटो के बीच में वहॉ पासमें पहले से ही पड़ी हुयी सफदे पालीथीन में रखकर झाड़ियों एवं ईटों के बीच छिपा दिया था।

विवेचक के द्वारा अमित कुमार यादव के मोबाईल नं0–8850901022 से अभियुक्त के मोबाईल नंबर–956537015 पर दिनांक 02.05.2022 को घटना के पूर्व 21:29:51, 22:09:08, 22:27:17 बजे बात होने के सम्बन्ध में पत्रावली पर सी. डी.आर. दाखिल किया गया है।

आरोप विरचन के लिए प्रथम दृष्टया मामला ही देखा जाना है। वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त से मुख्य अभियुक्त आकाश यादव की घटना के पूर्व तक मोबाईल पर बात होनी एवं आकाश यादव का घटना के बाद प्रार्थी/अभियुक्त अमित कुमार यादव के घर जाना एवं प्रार्थी/अभियुक्त अमित कुमार यादव के कहने पर आला कत्ल देसी पिस्टल 9 एम.एम. को छिपाया जाना दर्शित होता है। जिससे प्रार्थी/अभियुक्त अमित कुमार यादव की राजबली यादव की हत्या के षडयंत्र में प्रथम दृष्टया उसकी संलिप्तता प्रकट होती है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन दस्तावेजों अभिलेखों से अभियुक्तगण अमृता देवी, आकाश उर्फ राजू यादव एवं अमित कुमार यादव उर्फ बब्लू के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अंतर्गत धारा 302, 307, 149, 504, 120बी. आई0 पी0 सी0 बनना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त अमित कुमार यादव द्वारा दिया गया उन्मोचन प्रार्थना पत्र 18ख निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अमित कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र 18ख निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते आरोप विरचन दिनांक–15.12.2023 को पेश हो। प्रकरण से सम्बंधित अभियुक्तगण अमृता देवी व अमित कुमार यादव उर्फ बब्लू नियत तिथि को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो तथा अभियुक्त आकाश यादव भी नियत तिथि को कारागार से आहूत हो।

(राजेश कुमार राय)
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट नं0–1,
जौनपुर।
जे.आई.कोड नं0–यूपी 6021

Digitally signed by Rajesh Kumar Rai
Date: 2023.12.02 10:25:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court